

असहभागी निरीक्षण
Non-Participant observation

Unit ① ①
B.A. (Hons) Part-②
Psychological-Research
Paper-III

By - Dr. Ramendra Kr. Singh
Dept. of Psychology
D.K. College, Meerut

मनोवैज्ञानिक-शोध में

प्रेक्षण प्रदत्त-संकलन की एक प्रमुख स्रोत है। इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि "मानव के व्यवहारों तथा कार्यों का जव इन्द्रियों के माध्यम से आर्थात् अनुभवसिद्ध (Empirical) प्रत्यक्षीकरण कर लिया जाता है तो इसे अवलोकन अथवा प्रेक्षण कहा जाता है। मोसर महोदय ने प्रेक्षण को अनुसंधान की एक शास्त्रीय विधि कहा है। प्रेक्षण मूलतः दो प्रकार का होता है। प्रेक्षण के दूसरे प्रकार को असहभागी निरीक्षण (Non-Participant observation) कहा जाता है।

असहभागी निरीक्षण भी अनियंत्रित निरीक्षण का एक प्रकार है। असहभागी निरीक्षण में शोधकर्ता को न तो अध्ययन की जानेवाले समूह का सदस्य बनना पड़ता है और न तो उस समूह के क्रियाकलापों एवं व्यवहारों में भागीदारी भी करनी पड़ती है। वह मात्र एक शोधकर्ता की ईशियत से उनके व्यवहारों का अध्ययन करेगा। इस प्रकार के माध्यम से शोधकर्ता विशेष अवसरों जैसे- शादी-व्याह, त्योहार, धार्मिक-समारोह, जन्मदिन, मृत्यु आदि के अवसर पर होने वाले व्यवहारों (कार्यकलापों) का दूर से निरीक्षण कर लेता है और किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। कुछ अन्य उदाहरण जैसे किसी-किसी आदिम जनजातियों में स्त्रियाँ अधिक सक्रिय होती हैं, शही अर्जित करने वाली कामकाजी होती हैं और पुरुष घर में पड़े रहते हैं या कपड़े को पालने वाले निष्कर्म होते हैं। मुरिया जनजाति के

It is a study of
social situation
from the outside."
(P.V. Young)

जनजातियों की प्रचलित "घोटूल" प्रथा की जानकारी अग्रभागी निरीक्षण के उदाहरण है। JOHADA के अनुसार -

"जब अनुसंधानकर्ता केवल एक वैज्ञानिक के रूप में तटस्थ भाव से निरीक्षण करता है तो उसे अग्रभागी निरीक्षण कहते हैं।" (When the observation is made in a detached way by the researcher it is called Non-participant-observation.)

MERITS OF NON-PARTICIPANT OBSERVATION

प्रेक्षण के इस प्रारूप की अपनी कुछ गुण हैं, जो निम्न लिखित हैं:-

(i) निष्पक्ष अध्ययन की संभावना:- इस विधि से निरीक्षण करने में शोधकर्ता को समूह के सदस्यों के साथ भागीदारी करना आवश्यक नहीं है। अतः कम समय में निरीक्षणकर्ता यथार्थ तथा स्वाभाविक सूचनाएँ संग्रहित कर लेने में सक्षम हो जाता है।

(ii) जोखिम का अभाव:- अग्रभागी निरीक्षण की तुलना में अध्ययनकर्ता को कम खतरों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसमें समूह की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। यह शोधकर्ता अपने शोध के प्रतिज्ञा से सूचनाएँ संकलित करने के लिये स्वतंत्र होता है।

(iii) वस्तुनिष्ठ निरीक्षण:- यहाँ अध्ययनकर्ता एक वैज्ञानिक की तटस्थ भूमिका में होता है। उसका समूह के साथ कोई सांवेगिक लगाव नहीं होता है जिससे पक्षपात होने की संभावना नहीं होती है।

इस प्रकार प्रेक्षण का यह प्रारूप वस्तुनिष्ठ अध्ययन में सफल हो जायगा है।

(iv) पक्षपात का अभाव :- इस विधि से सूचना संग्रह में पक्षपात की कम संभावनायें रह जाती हैं क्योंकि शोधकर्ता अपनी तरफ से कोई जोड़-घड़व नहीं करेगा है। यह पूर्वाग्रह रहित अध्ययन प्रणाली है इसके चलते निष्पक्ष अध्ययन हो जायगा है जो इसकी विश्वसनीयता के प्रतिशत को बढ़ा देगा है।

(v) वास्तविक सूचनाओं का संकलन संभव :- इस प्रारूप के माध्यम से अध्ययनकर्ता तटस्थ होकर अध्ययन करेगा है। समूह से कोई लगाव नहीं रखेगा है; जो सूचनायें मिलनी हैं उसे वगैर लागलपेट के प्रस्तुत करेगा है।

(vi) प्रारंभिक स्तर पर अध्ययन :- इस प्रणाली से सूचनाओं का संकलन प्रारंभिक स्तर पर हो जायगा है। सूचना संग्रह की प्रथमिक स्तर माना जायगा है। अतः सरलता से अध्ययन सामग्रियाँ मिल जाती हैं।

Limitations of Non-Participant-observation

इस प्रारूप की कुछ सीमायें हैं; जो इसको पूरक पद्धति ही बनाकर रख देनी हैं। प्रमुख सीमायें निम्न हैं :-

(1) सखी अध्ययन :- इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इससे प्राप्त सूचनायें सखी स्तर की होती हैं। वास्तवी क्रियाकलापों को देखकर सुक्ष्म अध्ययन संभव नहीं है। शायद एक सुक्ष्म अध्ययन Participant-observation इस विधि की तुलना में अधिक कारगर और वैज्ञानिक है।

(2) निरीक्षणकर्ता का व्यक्तित्व दृष्टिकोण का प्रभाव :- यह एक शंकी दोष है। इसमें निरीक्षणकर्ता अपने वैयक्तिक प्रभावों से मुक्त नहीं हो पायगा है। अपने कर्तव्य से व्यतयों का अध्ययन करनी है जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकत हैं।

(iii) असहभागिता (Osmaturslity) :-

इस प्रकार से सूचना-संग्रह करने पर भी जब समूह विशेष के सदस्यों को यह ज्ञान हो जाय कि उनके संदर्भ में सूचनाएँ संग्रहित की जा रही हैं तो उसके व्यवहारों में असहभागिताएँ आ जाती हैं। ऐसी हालत में वे प्रायः कृत्रिम व्यवहार प्रकट करने लगते हैं। इससे दोषपूर्ण तथ्यों की संग्रह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इस विधि की यह एक सीमा है।

(iv) पूर्णतः असहभागिता संभव नहीं होगी :-

कुछ मनोवैज्ञानिकों की यह मान्यताएँ हैं कि पूर्णतः असहभागिता की बात बेमानी है। पूर्णतः असहभागी रहकर समूह विशेष की कार्यकलापों का अध्ययन करना संभव नहीं होगा है। शब्दों में :-

"As the student can understand purely Non-participant observation is difficult."

उपर्युक्त कुछ शर्तों का मूल्यांकन करते पर हम पाते हैं कि तथ्यसंग्रह के दृष्टिकोण से Non-participant observation एक प्राथमिक स्रोत है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं पर दोषरहित भी नहीं है। इसी कारण इसे एक पूरक विधि की दर्जा ही प्राप्त है। जहाँ इसकी सीमाएँ (limitations) बतायी जाती हैं वहाँ प्रेक्षण

(5)

की अन्य प्रारूपों का प्रयोग करना उचित है।
अतः उसे एक पुरक विधि के रूप में ही
इस्तेमाल करना चाहिए।

==

R. Singh
Dr. Ramendra Kr. Singh
Deptt of Psychology
D.K. College,
Dumraon
(Buxar)